सं.ए-12025/07/2012-प्रशासन-1
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 06 अगस्त, 2013

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय/ मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठन

विषयः योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) **आधार पर संयुक्त सलाहकार (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन) पीबी:4 रूपये 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 रू पर भर्ती ।**

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन) के पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके **अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है**) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारीः- (अ) (i) **जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या** (ii) **जिन्होंने मूल काडर या विभाग में** वेतन बैंड-**3, 15600-39100 रू0 (+)ग्रेड वेतन 7600 रू0 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पद पर उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो** और निम्नलिखित निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों **और योजना आयोग के ऐसे विभागीय उप सलाहकार जिन्होंने श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो** और निम्नलिखित निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखते होंः-

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी / संक्रिया अनुसंधान /व्यवसाय कारबार में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) परियोजनाओं / कार्यक्रमों के अनुसंधान/ विकास/ योजना **निर्माण**/ कार्यान्वयन / मूल्यांकन / अनुश्रवन में 12 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) सुसंगत क्षेत्र में डाक्टरेट की उपाधि ।

(ii) आधुनिक अनुसंधान प्रणाली, सर्वेक्षण विधि, नमूना तकनीकी, इकोनोमेट्रिक विधि का प्रयोग, लाभ का अनुमान लगाने के अनुप्रयोग में विश्लेषण का प्रशिक्षणए यदि कोई हो ।

(iii) 12 वर्ष में से कम से कम 6 वर्ष आयोजन, संचालन निर्देशन, अनुसंधान, लेखन, रिपोर्ट का अनुभव जो प्रकाशन् द्वारा साक्ष्यित हो ।

यदि पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जो निर्धारित अवधि के लिए पॉच वर्षो से अधिक नहीं होगा।

3. रिक्ति के ब्यौरे तथा आवेदन प्रपत्र **"Appointment/Jobs"** लिंक के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.gov.in पर उपलब्ध हैं । इच्छुक उम्मीदवार हमारे वेबसाइट से सर्कुलर तथा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।

4. मंत्रालयों केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विभागों से अनुरोध है कि वे इन रिक्तियों को अपने नियंत्रण के अधीन सभी अधिकारियों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों और मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्पष्ट अनापत्ति ;
(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टो की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;
(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।
(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित हे और न ही अपेक्षित है, तथा
(v) विगत 10 वर्षो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

आवेदन प्रपत्र सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सतर्कता प्रमाण पत्र दंड़ नहीं प्रमाण पत्र हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तथा ये सश्री रोजगार समाचार पत्र में भी प्रकाशित होगी ।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएं जिनके विरूद्ध सर्तकता का कोई मामला न हो । इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।**

7. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो । "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा।

भवदीय,

(जी0 राजीव)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभाष : 23096531